न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
(पीठासीन अधिकारीः जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस.)

आवेदकः–
श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

अप्रार्थी / अभियुक्तः–
1. श्री बीरबलराम पुत्र श्री रामुराम **(खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक)**
फर्म – मैसर्स चौधरी रसगुल्ला हॉउस, राठी नोहरा, डिडवाना रोड़, कुचामन सिटी।
निवासी – वॉर्ड नं. 3, पांचू बीकानेर

प्रकरण संख्या :–11 / 2023

जीसीएमएस न.– 2023 / 37

" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx), धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 "

उपस्थितः–
1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विशाल मित्तल

–:निर्णय :–

दिनांक :– 30.04.2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.03.2023 को समय 04:00 पी..एम. पर फर्म मैसर्स चौधरी रसगुल्ला हॉउस, राठी नोहरा, डिडवाना रोड़, कुचामन सिटी पर पॅहुचा। वहां पर खाद्यकारोबारकर्ता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्री बीरबलराम पुत्र श्री रामुराम निवासी वॅर्ड नं. 3, पांचू बीकानेर पर खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक की हैसियत से मौजूद है। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र / रजिस्ट्रेशन, स्वयं के आधार कार्ड तथा स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत कि जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान के निरीक्षण के दौरान उक्त रसगुल्ला ... कार्यवाही पर As a Ingredient Cow Milk जो कि BMC मशीन में लगभग 250 लीटर ... है, इसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, ... के तहत ... लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना गवाह के सामने खाद्यकारोबारकर्ता मालिक ... प्रपत्र 5ए में भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व खाद्यकारोबारकर्ता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले खाद्यकारोबारकर्ता एंव

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 18:13:17 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन
(पीठासीन अधिकारी: जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस.)

आवेदक:–

श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं ...

बनाम

अप्रार्थी/अभियुक्त:–

1. श्री बीरबलराम पुत्र श्री रामुराम (खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक) फर्म – मैसर्स चौधरी रसगुल्ला हॉउस, राठी नोहरा, डिडवाना ... निवासी – वॉर्ड नं. 3, पांचू बीकानेर

जीसीएमएस न.– 2023/37

" अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ... 2(ii) एवं दण्डनीय ...

उपस्थित:–

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विशाल मित्तल ...

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस ... नागौर ने यह आवेदन इस ... अधिकारी दिनांक 09.03.202... राठी नोहरा, डिडवाना ... उपस्थित व्यक्ति ... बीरबलराम पुत्र ... की हैसियत ... आधार ... साथ ...

(2) ...

...एक्ट के तहत वास्ते जॉच ... संलग्न है।
...उपस्थिति में खाद्यकारोबारकर्ता ... उसमें से 2 लीटर गाय का ... व मालिक को रू. 80/–नगद ... खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व ... रसीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन ...
... चार साफ, सूखी एंव खाली चौड़े मुंह ... लीटर गाय का दूध को चार बराबर–बराबर ... डाला एंव प्रत्येक बोतल में 40–40 बुंद ... नमूना बोतलों के ढक्कन से एयर टाईट ... कारोबारकर्ता एंव मालिक एंव गवाहान की उपस्थिति ... मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी नागौर का ... विवरण अकिंत कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, ... खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। ... अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से ... गया। प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी व मुख्य ... की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–2167 ... प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील ... खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय ... कारोबारकर्ता मालिक ने भी नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज ... किये। फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। ... ी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता श्री ... भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक ... ने भी हस्ताक्षर किए। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।
... खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की छः प्रतियां ... पर नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया था। दो फार्म न. 6 की ... लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य ... राजस्थान, ... को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने ... य फार्म नं. 6 की प्रति आउटर ... चपड़ी से सील बन्द एवं सील मोहर कर ... य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ... को अगले कार्य दिवस को जमा करवा ... प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

मालिक को बता दिया था कि यह गाय के दूध का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में खाद्यकारोबारकर्ता से उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ को हिला मिलाकर एकरूप करके उसमें से 2 लीटर गाय का दूध नमुना जांच हेतु खरीदा जिसकी किमत खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक को रू. 80/–नगद (अक्षरे अस्सी रूपये मात्र) देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व खाद्यकारोबारकर्ता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(4) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ, सूखी एंव खाली चौड़े मुंह की प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा 2 लीटर गाय का दूध को चार बराबर–बराबर भागों में बाटकर चारों साफ सुखे एंव खाली बोतलों में डाला एंव प्रत्येक बोतल में 40–40 बुंद फार्मलिन की बतौर प्रिजरवेटिव डाली गई। इन चारों नमूना बोतलों के ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। उक्त चारों भागों के लिए खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक एंव गवाहान की उपस्थिति में चार अलग–अलग लेबल तैयार कर डीओ एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी नागौर का कोड व क्रमांक Q-2167 लिखा एवं अन्य विवरण अकिंत कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात प्रत्येक नमूना बोतलों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–2167 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय मैने भी हस्ताक्षर किये। खाद्यकारोबारकर्ता मालिक ने भी नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रोस करते हुए हस्ताक्षर किये। फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता श्री बीरबलराम एंव गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(5) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की छः प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील [illegible] किया था। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से [illegible] कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस [illegible]कर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति [illegible]डी से सील बन्द एवं सील मोहर कर डीओ एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक FSSA/जांच रिपोर्ट/2023/180 दिनांक 05.04.2023 को जांच रिपोर्ट संख्या LS/238/Act/2023/267 दिनांक 20.03.2023 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता मालिक से वास्ते नमूना जाँच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ गाय का दूध का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(7) प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ गाय का दूध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) होना पाया गया है जो धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एंव इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(8) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को दिनांक 20.06.2023 क्रमांक 263, दिनांक 27.09.2023 क्रमांक 483, दिनांक 18.12.2023 क्रमांक 519 से नोटिस जारी किया गया। अभियुक्त को जारी नोटिस स्वयं से तामिल होने के बाद भी अभियुक्त द्वारा अपना पक्ष रखने बाबत उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

(9) प्रकरण में प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM B रिपोर्ट नं. LS/238/Act/2023/267 दिनांक 20.03.2023 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया हैः–

Opinion- The sample of Cow milk bearing Code no. and Sr. no. Q-2167 of Designated officer cum Chief Medical and Health Officer, Nagaur is Sub Standards as it does not conform to the prescribed standards and provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011.

जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता बीरबलराम से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ दूध नमूना नं.–2167 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक(सबस्टेण्डर्ड) है जो इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii), धारा 3(1)(zx) एंव 51 इस प्रकार हैः–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हैं

धारा 51

कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए, विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो पांच लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा – 3

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(zx) "अवमानक" से कोई खाद्य पदार्थ तब अवमानक समझा जाएगा यदि वह विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता है किन्तु उससे खाद्य पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है

(10) प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एंव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर, राजस्थान से खाद्य पदार्थ गाय का दूध की जांच रिपोर्ट का अवलोकरन किया गया। अनुसार जांच रिपोर्ट खाद्य कारोबारकर्ता बीरबलराम से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमूना Q–.2167 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (zx) के तहत अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) होना पाया गया है। जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार अवमानक(सबस्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ के विक्रय करने पर फर्म–मैसर्स चौधरी रसगुल्ला हॉउस, राठी नोहरा, डिडवाना रोड़, कुचामन सिटी खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक बीरबलराम पुत्र श्री रामुराम निवासी वॅर्ड नं. 3, पांचू बीकानेर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक [illegible] 08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए [illegible] अधिनियम, 2006 की धारा 51 के तहत खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक [illegible] पुत्र श्री [illegible]राम निवासी वॅर्ड नं. 3, पांचू बीकानेर फर्मः– मैसर्स चौधरी रसगुल्ला हॉउस, राठी नोहरा, [illegible]वाना रोड़, कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन पर राशि रुपये 25,000/–(अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम बीरबलराम

अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(11) आदेश दिनांक 30.04.2024 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested